राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लल्लूराम बनाम नारायणी देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	257/2018	
13/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/04/2026 को पेश हो।	
15/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीगण के बुजुर्ग श्री मंगला पुत्र गंगल्या थे, जिनके मालिकाना हक व कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम कस्बा चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित है, जिसका राजस्व रिकार्ड स्व. श्री मंगला पुत्र गंगल्या जीवित रहे, तब तक उनके नाम रहा। वादीगण के बुजुर्ग स्व. श्री मंगला पुत्र गंगल्या के दो पुत्र पैदा हुये, जिनमें बडा पुत्र मांग्या व छोट पुत्र देवा था तथा उक्त मांग्या के एक पुत्र रामजीवण पैदा हुआ तथा देवा के दो पुत्र पैदा हुये जिसमें देवा का बडा पुत्र चौथू व छोटा पुत्र गोदू वादी संख्या 6 है तथा चौथू के पुत्रान वादी संख्या 1 लगायत 5 है तथा स्व. श्री रामजीवण जो कि स्व. मांग्या का पुत्र था, वह ना-औलाद फौत हो गया। इस प्रकार से वादीगण ही स्व. मंगला पुत्र गंगल्या के एकमात्र उत्तराधिकारी व वारिसान है। वादीगण के बुजुर्ग स्व. श्री मंगल्या पुत्र गंगल्या व उसके सह खातेदारान की आराजी कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 4961 रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा है, जिसके राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत 2004 में स्पष्ट अंकन मंगला पुत्र गंगल्या के नाम 3/8 हिस्सा व रामू एवं केश्या माली के नाम 1/8 हिस्सा व मोहना वल्द खेमा के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त वाद में मंगल्या पुत्र गंगल्या के हिस्से की भूमि वादग्रस्त भूमि है क्योंकि उक्त मंगल्या एवं गंगल्या के दो पुत्र हुये, जिसमें बडा पुत्र मांग्या व छोटा पुत्र देवा पैदा हुये, परन्तु स्व. मंगल्या पुत्र गंगल्या के नाम की उसके हिस्से की कृषि भूमि जो थी, वह भूमि स्व० मंगल्या पुत्र गंगल्या के नाम जब तक वह जीवित रहा, तब तक उसके नाम दर्ज रही तथा मंगल्या पुत्र गंगल्या ही अपनी ता जिन्दगी अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करता रहा तथा उसकी मृत्यु के बाद उक्त मंगल्या माली के हिस्से की 3/8 कृषि भूमि वादग्रस्त स्व. मंगल्या के बडे पुत्र मांग्या अकेले के नाम से ही राजस्व अधिकारियों ने गलती से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी, जबकि स्व. मंगल्या पुत्र गंगल्या की मृत्यु के बाद स्व. मंगल्या माली के हिस्से 3/8 की भूमि वादग्रस्त का राजस्व अंकन स्व. गंगल्या के दोनों पुत्रान क्रमशः मांग्या व देवा के नाम हिस्सा बराबर-बराबर की कानूनन दर्ज होना चाहिये था, परन्तु राजस्व	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

अधिकारियों ने गलती से स्व. मंगल्या पुत्र गंगल्या माली के हिस्से 3/8 की भूमि अकेले मंगल्या पुत्र गंगल्या के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी जबकि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा स्व० मंगल्या के दोनों पुत्रान मांग्या पुत्र मंगल्या व देवा पुत्र मंगल्या का बराबर बराबर रहा परन्तु मांग्या पुत्र मंगल्या के नाम की 3/8 की दर्ज भूमि ही उक्तः मुकदमें में वादग्रस्त भूमि है क्योंकि मांग्या के जीवनकाल तक स्व. मंगल्या पुत्र गंगल्या के हिस्से की 3/8 संपूर्ण भूमि गलती से उसके अकेले के नाम दर्ज रही तथा मांग्या पुत्र स्व. मंगल्या की मृत्यु के बाद उसके नाम की दर्ज हिस्सा की भूमि मांग्या के एकमात्र पुत्र रामजीवण के नाम दर्ज हो गई तथा रामजीवण बाद में ना औलाद फौत हो गया रामजीवण के ना औलाद फौत हो जाने के कारण उसकी उक्त ना औलाद का नाजायज फायदा उठा कर स्व. रामजीवण खातेदार के नाम दर्ज 3/8 हिस्से की भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने बिना किसी हक व अधिकार के जालसाजी व षडयन्त्र रच कर अपने नाम दर्ज करा लिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का वादीगण व स्व. मंगल्या पुत्र गंगल्या माली के परिवार से कतई कोई संबंध आज तक कभी भी नहीं रहा। इसलिए उक्त मुकदमें में वादग्रस्त मामला उक्त पैरा में दर्ज भूम उक्त प्रकार से है, जिसके बाबत दावा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 तो दूसरे परिवार से संबंध रखती है जिनसे वादीगण व स्व० मंगल्या पुत्र गंगल्या का कोई संबंध उनसे नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 तो जीवण पुत्र पोखर माली की लडकिया है जो सन् 1984 से 1985 के राशन कार्ड के फार्म की दर्ज अंकन से मामला स्पष्ट प्रकट है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार से कोई कब्जा आज तक नहीं रहा है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के हक में फर्जी व साजिशपूर्ण कार्यवाही से किया गया राजस्व अंकन बमुकाबले वादीगण अवैध व शून्य घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर जवाब वाद पेश किया | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 16/03/2018 पारित करते हुये वादीग का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लल्लूराम बनाम नारायणी देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	257/2018	

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य-सबूत का समुचित परिक्षण/विवेचन किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये है, जो न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | कानूनन सभी साक्ष्य-सबूत का विस्तृत रूप से एवं समुचित रूप से परिक्षण/विवेचन करते हुये निर्णय व डिक्री पारित किया जाना होता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर विधिक त्रुटी किया जाना प्रकट होता है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी पत्रावली पर पृष्ठ संख्या 255 से 258 पर उपलब्ध राजीनामा प्रार्थना पत्र का भी संज्ञान अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये नही लिया जाना प्रकट होता है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को समस्त साक्ष्य सबूत एवं राजीनामा का संज्ञान लते हुये उन्हें विवेचित कर निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16/03/2018 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य-सबूत एवं राजीनामा का विस्तृत रूप से विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर